

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक— /सा0प्र0/अधिसूचना/2020-21

दिनांक—18.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59,1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के स्वरूप के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चन्दौली जनपद से होकर निकलने/चलने वाले, नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है—

क्र० स०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक)जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी के अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गई गति सीमा			
			दू. व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली-कोलकत्ता, मार्ग (एन0एच0-19)	टेंगरामोड़ से नौबतपुर	60 कि०मी० प्रति घण्टा	75 कि०मी० प्रति घण्टा	70 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा
2	सैयदराजा -गाजीपुर, मार्ग (एन0एच0-97)	सैयदराजा से जमानिया	60 कि०मी० प्रति घण्टा	70 कि०मी० प्रति घण्टा	65 कि०मी० प्रति घण्टा	55 कि०मी० प्रति घण्टा
3	चंदौली- सकलडीहा-सैदपुर मार्ग (राज्य मार्ग)	चंदौली से सैदपुर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	45 कि०मी० प्रति घण्टा

4	मुगलसराय चकिया मार्ग मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या -65)	मुगलसराय से चकिया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5	चहनियां से धानापुर मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	चहनिया से धानापुर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	45 कि०मी० प्रति घण्टा
6	रमौली प्रभुपुर शहीदगांव(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	रमौली प्रभुपुर से शहीदगांव	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7	तुलसी आश्रम नोनार पिपरी धीना जमानियां मार्ग(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	तुलसी आश्रम से जमानियां मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8	प्रभुपुर रसूलपुर ककरही रामगढ़ सद्दान बड़गांवा मार्ग(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	प्रभुपुर से बड़गांवा मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
9	भगवान तालाब से चिन्हारी भैसऊर मार्ग(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	भगवान तालाब से भैसऊर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
10	सकलडीहा अमड़ा वाया कमालपुर(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	सकलडीहा से कमालपुर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11	भुपौली हेड से सराय पकवान दरियापुर घरचित मार्ग(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	भुपौली से घरचित	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

12	अरंगी बहोरा मार्ग(प्रा०ख०लो०नि०वि०)	अरंगी से बहोरा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
13	सराय लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ महाराजगंज हिंगुतरगढ़ मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	सराय लक्ष्मण गढ़ से हिंगुतरगढ़	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
14	कटशीला शिवगढ़ नहर पटरी मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	कटशीला से शिवगढ़ नहर पटरी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
15	कमालपुर एवती बगही महुंजी मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	कमालपुर से महुंजी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
16	मारुफपुर टांडा कैथी बलुआ मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	मारुफपुर से बलुआ	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
17	अलीनगर लंका मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	अलीनगर से लंका	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
18	हिंगुतर नादी रामगढ़ गुरैरा मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	हिंगुतर से गुरैरा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
19	मुगलसराय भुपौली चहनियां मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	मुगलसराय से चहनियां	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

20	धानापुर महुंजी मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	धानापुर से महुंजी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
21	चन्दौली कैली मार्ग कोडरियां से फगुया जमुनीपुर नदरा मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	चन्दौली से जमुनीपुर नदरा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
22	नौबतपुर बरहनी मार्ग (प्रा०ख०लो०नि०वि०)	नौबतपुर से बरहनी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
23	सकलडीहा अमड़ा वाया तुलसी आश्रम मार्ग	सकलडीहा से तुलसी आश्रम	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
24	सैयदराजा सकलडीहा मार्ग	सैयदराजा से सकलडीहा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
25	पड़ाव मुगलसराय पंचफेड़वा (जी०टी० रोड)	पड़ाव से पंचफेड़वा जी०टी० रोड	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
26	धानापुर नगवां मार्ग	धानापुर से नगवां	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
27	चन्दौली बबुरी बसन्तपुर टेल मार्ग	चन्दौली से बसन्तपुर टेल	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
28	चन्दौली कैली मार्ग	चन्दौली से कैली	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

29	परसियां अरंगी धनायत मुण्डा मार्ग	परसियं से मुण्डा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
30	कैली से सकलडीहा तहसील मार्ग	कैली से सकलडीहा तहसील	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
31	बलुआं महुवर हरधनजुड़ा टांडा मार्ग	बलुआं से टांडा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
32	भूपौली से मथेला आवाजापुर रैथा मार्ग	भूपौली से रैथा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
33	डेढ़ावल धानापुर मार्ग	डेढ़ावल से धानापुर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
34	अलीनगर सकलडीहा मार्ग	अलीनगर से सकलडीहा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
35	पड़ाव भूपौली मार्ग	पड़ाव से भूपौली	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
36	सकलडीहा अमड़ा वाया तुलसी आश्रम मार्ग	सकलडीहा से तुलसी आश्रम	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
37	सैयदराजा सकलडीहा मार्ग	सैयदराजा से सकलडीहा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
38	पड़ाव मुगलसराय पंचफेड़वा (जी०टी० रोड)	पड़ाव से पंचफेड़वा जी०टी० रोड	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
39	धानापुर नगवां	धानापुर से नगवां	40 कि०मी०	60 कि०मी०	60 कि०मी०	50 कि०मी० प्रति

	मार्ग		प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	घण्टा
--	-------	--	-------------	-------------	-------------	-------

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-116 में विनीर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनीर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

अ) अग्निशमन वाहन

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय-समय पर यथा संशोधन द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(डॉ दिलीप कुमार गुप्त)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद

चन्दौली।

पृ0स0 434/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(यातायात) यातायात निदेशलय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी चन्दौली।
4. पुलिस अधीक्षक चन्दौली।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी।

7. निर्देशक, छपाई मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्ती खण्ड/निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी) लखनऊ उ0प्र0।
10. जिला सूचना अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने कि कष्ट करें।



सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद
चन्दौली।